

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-02022021-224880
SG-DL-E-02022021-224880

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/ माघ 12, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 304
No. 43]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942	[N. C. T. D. No. 304

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

सं. 83/2020-राज्य कर

सं. फा. 2(354)/पॉलिसी/जीएसटी/2020/401-411.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) संख्या 74/2020-राज्य कर, तारीख 4 जनवरी, 2021, संख्याक सं. फा. 03(75)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/11, तारीख 4 जनवरी, 2021 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व-विभाग) संख्या 75/2020-केंद्रीय कर, तारीख 15 अक्टूबर, 2020 संख्या सा.का.नि. 635(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचनाओं का अधिकांश करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद् की सिफारिशों पर, आयुक्त, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के प्रारूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक कर अवधि के लिए, समय सीमा का विस्तार ऐसी कर अवधि के लिए उत्तरवर्ती महीने के ग्यारहवें दिन तक करता है :

परंतु उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का ऐसी कर अवधि के उत्तरवर्ती महीने के तेरहवें दिन तक विस्तार किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी 2021 से लागू होगी।

संतोष द. वैद्य आयुक्त, (राज्य कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(GST-POLICY BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 29th January, 2021

No. 83/2020- State Tax

No. F. 2(354)/POLICY-GST/2020/401-411.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-I), No. 74/2020 – State Tax, dated the 4th January, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (75)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/11, dated the 4th January, 2021, and notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 75/2020-Central Tax, dated the 15th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 635 (E), dated the 15th October, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), for each of the tax periods, till the eleventh day of the month succeeding such tax period:

Provided that the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the said rules for the class of registered persons required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39 of the said Act, shall be extended till the thirteenth day of the month succeeding such tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

SANTOSH D. VAIDYA, Commissioner (State Tax)